न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

तारीख रजू 09.02.2018

पीठासीन अधिकारी – रघुनाथ ,आर0ए0एस0मुकदमा न0 08/2018

1–प्रेम पत्नि नाथूलाल उम्र 47 वर्ष जाति माली निवासी धनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर –वादी

बनाम

1–उर्मिला पत्नि हनुमान उम्र 43 वर्ष जाति माली निवासी धनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर

2–सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर –प्रतिवादीगण

विषय :–वाद पत्र दुरूस्त इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा – वादी

दिनांकः 18.7.19

निर्णय

पत्रावली पेश हुई बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एंव विपक्षीयान वाके ग्राम धनोली तहसील सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2402 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 2402/2647 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीद की गई थी। विक्रय पत्र के स्टाम्प प्रार्थीया ने एंव विपक्षीयान ने सयुक्त रूप से खरीद किये गये थे। विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 590 के आधार पर जमाबन्दी में ईन्द्राज हो गया था। प्रार्थीया ने जमाबन्दी की नकल लेने पर राजस्व रिकार्ड में पति के नाम का ईन्द्राज नही होने के कारण प्रार्थीया ने दुरूस्ती इन्द्राज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पति के नाम का इन्द्राज करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीयान को तलब किया एंव तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौके की एंव राजस्व अभिलेख की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 06.08.2018 एंव पटवारी हल्का मैनपुरा द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 के अनुसार प्रार्थीया प्रेम के पति का नाम नाथूलाल एंवम उर्मिला के पति का नाम हनुमान है। इसके अलावा अन्य कोई विवाद भी नही है। साथ ही विपक्षीयान ने दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा भी पेश किया। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विक्रय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की । जिसमें पति का नाम नाथूलाल दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 07.07.08 में टाईप मिस्टेक के कारण पति के नाम का इन्द्राज नही होने की गलती के कारण प्रार्थीया के पति का नाम दर्ज नही होने के कारण ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। क्योकि पति के नाम का इन्द्राज करने में पटवारी हल्का एंव विपक्षीयान द्वारा भी सहमति प्रदान करने से प्रकरण में अन्य कोई विवाद भी शेष नही है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम धनोली तहसील सवाई माधोपुर में स्थित खाता संख्या 478 में श्रीमति प्रेम पत्नि नाथूलाल दर्ज किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तूर यथावत रहेगें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 18-07-2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर